प्रेस नोट **21/11/2023**

प्रतिबन्धित प्रवासी पक्षियों का शिकार करने वाले 02 शिकारी गिरफ्तार, कब्जे से 06 प्रतिबन्धित प्रवासी पक्षियां बरामद–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय के निर्देशन में प्रतिबन्धित प्रवासी पक्षियों का शिकार करने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना मधुबन पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब दिनांक 20.11.2023 सायंकल देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर कटघराशंकर गांव में दबिश के दौरान 02 व्यक्तियों को पकड़कर चेक किया गया तो उनके कब्जे से झोलों में 06 प्रतिबन्धित प्रवासी पक्षियां बरामद हुयी, इस दौरान एक व्यक्ति भागने में सफल रहा। पूछताछ में उक्त द्वारा अपना नाम पता क्रमशः बेचन राजभर पुत्र स्व0 अन्धु निवासी खीरीकोठा व सोनू साहनी पुत्र श्रीकान्त निवासी ककराडीह थाना मधुबन मऊ तथा भागे हुये व्यक्ति का नाम सुरेश तुरहा पुत्र स्व0 मुसाबिर निवासी कटघराशंकर थाना मधुबन मऊ बताया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0 298/23 धारा 9/51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अर्न्तगत अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

चोरी की एक मोटरसाईकिल के साथ एक युवक गिरफ्तार–

थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा आज दिनांक 21.11.2023 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर भीमपुरा तिराहे के पास से मनीष साहनी पुत्र सवीन्द्र साहनी निवासी गाढा थाना हलधरपुर मऊ के कब्जे से एक चोरी की मोटरसाईकिल अपाची (बिना नम्बर) बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 244/23 धारा 411,413,414,41 भादवि में अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत पोक्सो एक्ट के दोषी को 15 वर्ष के कठोर कारावास व ₹30000 के अर्थदंड से किया गया दंडित–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय के निर्देशन में मानिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय ए0एस0जे0 पॉक्सो प्रथम जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 21–11–2023 को, मु0अ0सं0 06/20 .धारा 363,366,376,342 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना कोतवाली में दोषसिद्ध अभियुक्त हम्माद अंसारी पुत्र तुफैल अंसारी निवासी मलिक ताहिरपुरा थाना कोतवाली मऊ को 15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व ₹30000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।

सजा कराये जाने में अपर शासकीय अधिवक्ता श्री विमल कुमार श्रीवास्तव, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल उपनिरीक्षक सुनील मलिक, आरक्षी वीरेन्द्र मिश्र तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी आशीष कुमार थाना कोतवाली का सराहनीय योगदान रहा।